हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जुलाई, 2014

संख्या 24/17/81-3T(II).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 108 के उप–नियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ii) तथा (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 24/17/81–3टी(II), दिनांक 23 अप्रैल, 2014 तथा इस संबन्ध में जारी की गई अन्य सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ड्यूटी के समय वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर नीचे सूचीबद्ध के अनुसार बीकन प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हरियाणा राज्य के निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों/वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर जाने वाले सरकारी वाहनों को विनिर्दिष्ट करते हैं:–

(क) फ्लैशर सहित लाल बत्ती

1. राज्यपाल
2. मुख्यमन्त्री
3. भूतपूर्व राज्यपाल
4. उप मुख्यमन्त्री
5. मुख्य न्यायाधीश, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय
6. अध्यक्ष, विधान सभा
7. कैबिनेट मंत्री
8. उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड
9. भूतपूर्व मुख्यमन्त्री
10. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष
11. पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
12. लोकायुक्त, हरियाणा

(ख) फ्लैशर के बिना लाल बत्ती

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त
2. उपाध्यक्ष, विधान सभा
3. राज्य मंत्री
4. महाधिवक्ता
5. मुख्य सचिव
6. उपमंत्री
7. अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग

(ग) फ्लैशर सहित एम्बर बत्ती

1. हरियाणा के सभी सांसद/मुख्य संसदीय सचिव तथा विधान सभा सदस्य
2. सुपर टाईम स्केल तथा उससे ऊपर के हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारी
3. सुपर टाईम स्केल तथा उससे ऊपर के हरियाणा कैडर के केन्द्र में प्रतिनियुक्त एवं हरियाणा/चंडीगढ़ में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारी
4. सभी विभागाध्यक्ष
5. आवासीय आयुक्त, हरियाणा भवन, दिल्ली
6. महालेखाकार (अंकेक्षण/लेखा), हरियाणा
7. सभी वैधानिक आयोगों/अधिकरणों (राज्य सूचना आयोग/राज्य वित्त आयोग/उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग/बिजली नियामक आयोग/सेवा का अधिकार आयोग/हरियाणा राज्य खाद्य आयोग/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/स्कूल अध्यापक चयन

बोर्ड/हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग/मिर्चपुर जांच आयोग/हरियाणा कर अधिकरणों/नगर एवं ग्राम नियोजना अधिकरण इत्यादि) के अध्यक्ष तथा सदस्य

8. राज्य के सभी बोर्डों/निगमों के अध्यक्ष
9. सदस्य, हरियाणा लोक सेवा आयोग/राज्य चुनाव आयोग
10. उपाध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम
11. रजिस्ट्रार/महारजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
12. विधि परामर्शी
13. राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
14. राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक
15. मुख्यमंत्री के प्रधान विशेष कार्य अधिकारी एवं विशेष कार्य अधिकारी
16. राज्य में स्थित सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति
17. राज्य के सभी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
18. राज्य के सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त
19. हरियाणा में तैनात रेलवे पुलिस अधीक्षक
20. राज भवन के सभी वाहन

टिप्पण : 1. यदि वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर बीकन फिट है, जो गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों को नहीं ले जा रहा है तब ऐसा बीकन प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तथा काले/सफेद आवरण से ढक दिया जाएगा।

2. गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों को उनके एक निजी वाहन पर बीकन का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा यदि उन्हें सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं करवाया गया हो।

आर० आर० जोवल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 10th July, 2014

No. 24/17/81-3T(II).- In exercise of powers conferred by clause (ii) and (iii) of proviso to sub rule(1) of the rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Notification No. 24/17/81-3T(II) dated 23rd April, 2014 and all other notifications issued in this regard, the Governor of Haryana hereby specifies the official vehicles carrying following dignitaries/senior officers of the Haryana State authorized to use beacon as listed below, on the top front, while on duty:--

(A) **Red Light with flasher**

1. Governor
2. Chief Minister
3. Former Governors
4. Deputy Chief Minister
5. Chief Justice, Punjab and Haryana High Court
6. Speaker, Vidhan Sabha
7. Cabinet Ministers
8. Deputy Chairman, State Planning Board
9. Former Chief Ministers
10. Leader of Opposition in Vidhan Sabha
11. Judges of Punjab and Haryana High Court
12. Lokayukta Haryana

(B) **Red Light without flasher**

1. State Election Commissioner
2. Deputy Speaker, Vidhan Sabha
3. Ministers of State
4. Advocate General
5. Chief Secretary
6. Deputy Ministers
7. Chairman, Haryana Public Service Commission

(C) **Amber Light with flasher**

1. All MPs/Chief Parliamentary Secretaries and MLAs of Haryana
2. All IAS and IPS officers of Super Time Scale and above of Haryana
3. All IAS and IPS officers of Super Time Scale and above of Haryana cadre posted on deputation with Central Government and stationed at Haryana/Chandigarh
4. All Heads of Departments
5. Resident Commissioner, Haryana Bhawan, Delhi
6. Accountant General(Audit /Accounts), Haryana
7. Chairpersons/Members of all statutory Commissions/Tribunals(State Information Commission/State Finance Commission/Consumer Dispute Redressal Commission/Electricity Regulatory Commission/Right to Service Commission/Haryana State Food Commission/Haryana Staff Selection Commission/School Teacher Selection Board/Haryana Backward Classes Commission/ Commission of Inquiry, Mirchpur/Haryana Tax Tribunals/Tribunal, Town and Country Planning etc.)

8. Chairpersons of Boards and Corporations of the State
9. Members of Haryana Public Service Commission/State Election Commission
10. Deputy Chairman, 20 Point Programme
11. Registrar/Registrar General, Punjab and Haryana High Court
12. Legal Remembrancer
13. All District and Session Judges of the State
14. All Deputy Commissioners and Superintendents of Police in the districts of the State
15. Principal OSD/OSD to Chief Minister
16. Vice Chancellors of all Government Universities in the State
17. All Additional District and Session Judges of the State
18. All Additional Deputy Commissioners in the State
19. Superintendent, Railway Police posted in Haryana
20. Vehicles of Raj Bhawan

Note :

1. In case the vehicle fitted with beacon on top front is not carrying dignitaries/officers, then such beacon shall not be used and be covered by a black/white cover.
2. The dignitaries/officers shall be authorized to use the beacon on one of his/her personal vehicle in case he/she has not been provided a Government vehicle.

R.R. JOWEL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 10th July, 2014

No. 24/17/81-3T(II).—In exercise of powers conferred by sub rule(2), (3) and (4) of the rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Notification No. 24/17/81-3T(II) dated 23rd April, 2014 and all other notifications issued in this regard, the Governor of Haryana hereby specifies the official vehicles carrying following officers of the Haryana State authorized to use beacon as listed below, on the top front, while on duty :—

(A) **Blue Light with Flasher**

1. Indian Administrative Service Officers and Haryana Civil Services Officers who are not included in any other category.
2. All Additional Chief Judicial Magistrates and Chief Judicial Magistrates of Haryana.
3. All Executive Magistrates.
4. All officers of Transport Department having challaning powers.
5. All officers of Excise and Taxation Department not below the rank of Excise & Taxation Officer.
6. All Chief Medical Officersz
7. All District Town and Country Planners in the districts.
8. All Mining Officers of Mines & Geology Department.
9. All Class-I & II officers while on election duty.
10. All Class-I & II officers of Labour Department, Haryana.
11. All vehicles of Police Department, Haryana.
12. All vehicles of Chief Minister's office.
13. Vehicles escorting high dignitaries who are entitled to use red light.

(B) Blinker type red light with purple glass shall be used on an Ambulance Van used for carrying patients and multi-coloured red, blue and white light shall be used on vehicles specifically designated for emergency duties *i.e.* fire fighting vehicles, rescue vehicles and emergency maintenance.

Note : In case the vehicle fitted with beacon on top front is not carrying officers, then such beacon shall not be used and be covered by a black/white cover.

R.R. JOWEL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

52444—C.S.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जुलाई, 2014

संख्या 24/17/81-3T(II).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम, 108 के उप–नियम (2), (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 24/17/81–3टी (II), दिनांक 23 अप्रैल, 2014 तथा इस संबंध में जारी की गई अन्य सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ड्यूटी के समय वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर नीचे सूचीबद्ध के अनुसार बीकन प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हरियाणा राज्य के निम्नलिखित अधिकारियों को लेकर जाने वाले सरकारी वाहनों को विनिर्दिष्ट करते हैं :—

(क) **फ्लैशर सहित नीली बत्ती**

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा/हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी जो किसी अन्य श्रेणी में शामिल नहीं हैं
2. हरियाणा के सभी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
3. सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट
4. चालान करने की शक्तियां रखने वाले परिवहन विभाग के सभी अधिकारी
5. आबकारी एवं कराधान विभाग के सभी अधिकारी जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पदवी से नीचे के ना हों
6. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी
7. सभी जिलों के जिला नगर तथा ग्राम योजनाकार
8. खान एवं भू–विज्ञान विभाग के सभी खनन अधिकारी
9. श्रेणी–I एवं श्रेणी– II के सभी अधिकारी जो निर्वाचन डयूटी पर हों
10. श्रम विभाग हरियाणा के सभी श्रेणी– I एवं श्रेणी–II अधिकारी
11. पुलिस विभाग हरियाणा के सभी वाहन
12. मुख्यमंत्री कार्यालय के सभी वाहन
13. उच्च गणमान्य व्यक्ति जो लाल बत्ती प्रयोग करने के हकदार हैं, के मार्गरक्षी वाले वाहन

(ख) मरीजों को ले जाने के लिए प्रयुक्त एम्बुलैंस वैन पर परपल ग्लास के साथ बलीन्कर टाइप लाल बत्ती प्रयुक्त की जाएगी तथा आपातकालीन ड्यूटियों अर्थात अग्निशमन वाहनों, बचाव वाहनों तथा आपातकालीन रख–रखाव के लिए विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट वाहनों पर बहुरंग लाल, नीली तथा सफेद बत्ती प्रयुक्त की जायेगी ।

टिप्पण : यदि वाहन के शीर्ष अग्रभाग पर बीकन फिट है, जो अधिकारियों को नहीं ले जा रहा है तब ऐसा बीकन प्रयोग में नहीं लाया जाएगा तथा काले/सफेद आवरण से ढक दिया जाएगा।

आर० आर० जोवल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग ।